न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 428/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सेसुसिह पुत्र नवलसिह जाति पुरोहित निवासी गांव मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1-- भूमिधारी तहसीलदार फलोदी हाल तहसील लोहावट जिला जोधपुर 2-- उपखण्ड अधिकारी फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16--3--17 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा कमांक/राजस्व/2016/ 316 दिनांक 16--3--2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः--

1-- श्री पदम सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2-- राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 5--11--2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम छेनो की ढाणी तहसील फलोदी के खसरा नंबर 595/1, 513/4 एवं 513/3 तथा 511 किस्म बी द्वितीय व बी चतुर्थ मे से मौके पर चल रहे रास्ते के उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अमल दरामद करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने बिना जांच किये तथा अपीलांट को नोटिस या सूचित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन आदेश दिांक 16--3--2017 को पारित कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तथा रास्तो के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10--8--2016 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि जो रास्ते कदीमी से चले आ रहे है, उनका राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही है, उन्हे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने बाबत निर्देश थे तथा उक्त कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व लेण्ड रेकर्ड रूल्स 58 (3) की पालना करने के निर्देश थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियमो की पालना किये बिना तथा अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से रास्ता घोषित करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम मे केवल वही रास्ते राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जा सकते थे जो मौके पर चालू हो, परंतु वर्तमान विवादित रास्ता मौके पर चालू नही होते हुए भी बिना जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि गांव छेना की ढाणी के खसरा नंबर 513/3 की सरहद पर स्थित है तथा इसके चिपते ही ग्राम मोरिया मे अपीलांट की खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 187 आई हुई है जो अपीलांट की पत्नी शांतिदेवी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा दोनो खसरो को मिलाकर दोनो खसरो की जमीन एक चक मे स्थित है जिसके चारो तरफ तारबंदी की हुई है, पुरानी माठें बनी हुई है तथा जहां पर अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता घोषित किया है वहां पर मौके पर अपीलांट के मकान बने हुए है तथा उक्त भूमि पर कभी रास्ता नही रहा है और न ही वर्तमान मे रास्ता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच कराये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने नया रास्ता घोषित कर दिया जबकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 के तहत नया रास्ता घोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान नियमो मे नही है, नया रास्ता खातेदार के प्रार्थना पत्र पर संबंधित खातेदार को नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियक की धारा 251 (ए) के तहत सहायक कलेक्टर को अधिकार प्राप्त है , भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता घोषित करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय जो अपीलांट का वगैर नोटिस जारी किये एवं वगैर सुने पारित किया हुआ होने से अपीलांट प्रभावित होने से उक्त अपील अनुमति बाबत अपील पेश करने संबंधी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जिसे स्वीकार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खेत खसरा नंबर 187 की सरहद पर पूर्व मे रास्ता हेतु जमीन ली हुई है जहां पर वर्तमान मे मुरड डालकर ग्रेवल सडक बनी हुई है, उस स्थान पर रेकर्ड मे रास्ता घोषित नही कर अपीलांट के खातेदारी भूमि के बीच मे से नया रास्ता घोषित करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–3–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का

समर्थन करते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे ग्राम छेनो की ढाणी खसरा नंबर 595/1, 513/4, 513/3 एवं 511 मे मौके पर चल रहे कदीमी रास्तो के भूमि की किस्म बारानी से गै.मु.रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करने पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त निजी खातेदारी की भूमि मे से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा काश्तकार के खातेदारी मे गै0मु0रास्ते के रूप मे दर्ज रखने के जो आदेश पारित किये है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एव उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–3–17 आदि का अवलोकन किया तथा तहसीलदार लोहावट से तलब की गई मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट जिसमे अपीलाधीन भूमि छेनो की ढाणी स्थित खसरा नंबर 513/3 रकबा 24 बीघा तथा ग्राम मोरिया के खसरा नंबर 187 रकबा 13.07 बीघा भूमि बाबत प्रस्तुत की है, का भी अवलोकन किया ।

तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट जो ग्राम मोरिया के खसरा नंबर 187 एवं ग्राम छेनो की ढाणी के मूल खसरा नंबर 513 दो अलग अलग गांवो की सरहद पर स्थित होने से उक्त रिपोर्ट पटारी मोरिया एवं पटवारी पलीना द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाकर प्रेषित की है उक्त वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे अनुसार नक्शे मे दर्शाये अनुसार ए से बी की सरहद ग्राम मोरिया एवं ग्राम छेनो की ढाणी चेनपुरा दोनो ग्रामो की सरहद की सीमा है जिसके पूवी तरफ खसरा नंबर 187 ग्राम मोरिया की सरहद मे है एवं ए से बी की सीमा के पश्चिमी तरफ खसरा नंबर 511 व खसरा नंबर 513 मूल छेनो की ढाणी चैनपुरा मे स्थित है । तहसीलदार लोहावट की उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 मे छेनो की ढाणी चेनपुरा व खसरा नंबर 187 ग्राम मोरिया के उतरी तरफ फलोदी से नागोर हाई वे रोड स्थित है । पैरा 4 मे ल्लेख है कि गाम छेनो की ढाणी चैनपुरा के खसरा नंबर 511/1, 513/7, 513/6 व 595/2 वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारी गै.मु.रास्ता दर्ज है जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है । पैरा संख 5 मे उल्लेख है कि खसरा नंबर 513/3 ग्राम छेनो की ढाणी मे खातेदारी भूमि सेसुसिह के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा खसरा नंबर 187 व 187/1 शांतिदेवी पत्नी सेसुसिह के नाम रेकर्ड मे दर्ज है तथा उक्त दोनो खातेदारो मे पति–पत्नी का संबधं है । उक्त रिपोर्ट के पद संख्या 7 मे उल्लेख किया गया है कि नजरी नक्शे मे दर्शाये सी,डी,ई,एफ जो छेनो की ढाणी के खसरा नंबर 513/3, 513/7 तथा ग्राम मोरिया के खसरा नंबर 187 स्थित है जो रहवासीय पक्की ढाणी है । रिपोर्ट के पद संख्या 8 मे उल्लेख किया गया है कि

खसरा नंबर 511/1 व 513/6, 595/2 तरमीमसुदा राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदारी गै0मु0रास्ता मोके पर चालू है इसी रिपोर्ट के पद संख्या 9 मे खसरा नंबर 513/7 राजस्व रेकर्ड मे तरमीमसुदा खातेदारी मै.मु.रास्ता मोके पर बंद है तथा पैरा संख्या 10 मे उल्लेख किया गया है कि ग्राम मोरिया के खसरा 187 के दक्षिणी तरफ कटाणी रास्ता जो सरहद छेनो की ढाणी चैनपुरा से गांव मोरिया मे जाता है एवं खसरा नंबर 513/7 मोके पर बंद होने से खसरा नंबर 187 (मोरिया) की पूर्वी सीमा पर प्रचलित रास्ता जो मौके पर चालू है वर्तमान मे छेनो की ढाणी एवं ग्राम मोरिया के लोग प्रचलित रास्ते से फलोदी से नागोर रोड आवागमन करते है । रिपोर्ट के पद संख्या 11 मे उल्लेख है कि गाम छेनो की ढाणी चेनपुरा का खसरा नंबर 513/2 खातेदारी गै.मु.रास्ता मौके पर बंद है एवं ग्राम मोरिया के खसरा नंबर 187 के पूर्वी सीमा पर प्रचलित रास्ता मौके पर चालू है एवं आवागमन मे किसी प्रकार की रूकावट नही है।

तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट दिनांक 12–10–2018 से यह प्रकट है कि तहसीलदार फलोदी द्वारा ग्राम छेनो की ढाणी के खसरा नंबरान 513/3 व 513/4 की भूमि का जो प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी फलोदी को गै.मु.रास्ता घोषित करवाने बाबत प्रेषित किया है, वह बिना मौका जांच कराये प्रेषित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने भी तहसीलदार फलोदी के प्रस्ताव अनुसार निजी खातेदारो की भूमि मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत आदेश बिना विधिक प्रकिया अपनाये एवं बिना अपीलांट खातेदार को सुने पारित कर दिया तथा तद्नुसार नक्शे मे तरमीम कर दी गई, जो विधि एवं न्यायसगंत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/2016/316 दिनांक 16–3–2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का परीक्षण कर सभी खातेदारो को नोटिस जारी कर, बाद सुनवाई युक्तियुक्त निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 5–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर